

14.09.21. वकील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दि. 14.09.21 पर आज पेशी में ली गई। वकील अपीलान्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आठ 23 नि०। पेश किया गया आठ पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना। अधि० अपीलान्ट ने अवगत कराया कि पक्षकार में शर्मा नामा हो गया है। इसलिए अपील को आगे नहीं चलाना चाहते इसी स्टेज पर विद्वां करना चाहते हैं। अतः पत्रावली अधिवक्ता अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र के आधार पर विद्वां में खारिज की जाती है। पत्रावली केसल शुभाव होकर नम्बर से काम की जावे, बाद जाणा कार्रवाई दफ्तर हो

सुपरीम कोर्ट
दिल्ली
राजस्थान अपील प्राधिकरण
जयपुर कोर्ट-डी.डी.